
### सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक



### संदर्भ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 में संशोधन के प्रस्ताव को पास कर सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।
- इस बिल का उदेश्य गैर-कानूनी कैमकॉडिंग और फिल्मोंन के डुप्ली केशन के लिए दंड प्रावधानों को शामिल करके फिल्मू पायरेसी को रोका जा सके।

## क्यों पड़ी आवश्यकता

- पिछले कई सालों से सिनेमा इंडस्ट्री को पाइरेसी से जूझना पड़ रहा है ।
- निर्माताओं के तमाम प्रयासों के बावजूद डुप्लीकेट और थियेटर में रिकार्डेड फ़िल्में
  ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहती हैं।

• इससे निर्माताओं को व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ता है. हाल में कई फिल्मों की पाइरेसी की शिकायतें सामने आईं।

# सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन हेतु

- फिल्म पायरेसी विशेषकर पायरेसी वाली फिल्म का इंटरनेट पर प्रदर्शन रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में सक्षम प्रावधान जोड़ना चाहता है। फिल्मों की पायरेसी व इंटरनेट पर इसके प्रदर्शन से फिल्म उद्योग और सरकार को आर्थिक हानि होती है।
- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 7 में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान है।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 7 में उप-धारा 4 जोड़ना चाहता है। उप-धारा 4 में निम्न बातों को शामिल किया गया हैः
- 'कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के कोई प्रावधान समेत कोई अन्य कानून जो लागू हैं के बावजूद यदि कोई व्यक्ति किसी ऑडियो विजुअल का प्रदर्शन करता है जहां सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन की स्विधा हो या कॉपीराइट अधिकार वाले व्यक्ति की अनुमित के बिना ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करता है या किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्म , विजुअल रिकॉर्डिंग या ध्विन रिकॉर्डिंग या इसके किसी हिस्से की प्रतिलिपि बनाता है या बनाने का प्रयास करता है तो उसे अधिकतम 3 वर्षों के कारावास की सजा हो सकता है एवं उस पर अधिकतम 10 लाख रुपये का आर्थिक दंइ लगाया जा सकता है या उसे दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।'

#### बिल के लाभ

- प्रस्तावित संशोधन से उद्योग के राजस्व में वृद्धि होगी, तथा रोजगार बढ़ेगा,
- भारत की राष्ट्रीय IP नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा
- ऑनलाइन पाइरेसी और गलत तरीके से आने वाले कंटेंट के खिलाफ राहत
  मिलेगी।